AD EDUXIAN JOURNAL
A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed Online International Journal
Google Scholar Indexing PIF:1.048(I2OR) & 3.125 (IIFS)
Vol (2), Issue (3), Oct-Dec 2025 *ISSN: 3048-7951*

कौटिल्य के व्यावहारिक राजनीति के उपाय

मनीषा[1]

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18633427
Review: 06/12/2025 **Acceptance: 07/12/2025** **Publication: 30/12/2025**

सारांशः विजय की इच्छा रखने वाला राजा को राजनीतिक उपायों विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए, ताकि वह अपने साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार सुनिश्चित कर सके। इन उपायों के माध्यम से ही राजा नीतियों का संचालन भी करता हुआ राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करता है। राजा को इन उपायों का प्रयोग काल, देश और परिस्थिति के अनुरूप करना चाहिए।

बीजशब्दः साम, दान, दण्ड, भेद, षाड्गुण्य, नीतिशास्त्र, गुप्तचर, कूटनीतिक

एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के विषय में नीतियों का व्यावहारिक राजनीति और कूटनीति के सफल संचालन निर्धारण करने चतुर्विध उपायों का माना जाता है-

- **साम (Conciliation):** समझा-बुझाकर अपने पक्ष में करना।
- **दान(Dana/Gift):** धन, उपहार या अन्य लालच देकर पक्षकार को वश में करना।
- **भेद (Divide/Sowing Dissension):** फूट या अविश्वास पैदा करना।
- **दंड (Punishment/Force):** जब उपरोक्त तीनों उपाय विफल हो जाएं, तब सैन्य बल या सजा का उपयोग करना।

कौटिल्य ने इसे विजिगीषु (विजय की इच्छा रखने वाला राजा) के लिए अनिवार्य कौशल के रूप में उपायों को माना है ताकि वह अपने साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार सुनिश्चित कर सके। इन उपायों के माध्यम से ही राजा षाड्गुण्य (संधि, विग्रह,आसन,यान, संश्रय, द्वैधीभाव) नीति का संचालन भी करता है। अतः इन उपायों पर राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नीतियों की सफलता निर्भर करती है। राजा को इन उपायों का प्रयोग काल, देश और परिस्थिति के अनुरूप करना चाहिए।

प्रायः सभी राजनीतिक आचार्यों ने **साम, दान, दण्ड, भेद**- ये चार उपाय बताए है। महाभारत, कामन्दक, मत्स्य पुराण तथा अग्नि पुराण में इन चारों के साथ अन्य तीन- **उपेक्षा, माया, इन्द्रजाल** अर्थात् **सात उपाय** शत्रु को वश में करने में सहायक बताए हैं।

परन्तु यहाँ पर भी प्रथम चार को ही महत्वपूर्ण माना है। अतः प्राचीन राजशास्त्रियों द्वारा बताए गए ये नीतिशास्त्र संबन्धि उपाय वर्तमान तक भी राजनीति के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। कौटिल्य ने राजाओं

[1] **मनीषा**, शोधार्थी, ज्योति विद्यापीठ वीमंस यूनिवर्सिटी, जयपुर

को परामर्श दिया गया है कि वे चतुर्विध उपायों को जानें, क्योंकि इनके बिना वे अन्य राज्यों के साथ यथा स्थिति व्यवहार नहीं कर पाएंगे।[ii]

महाभारत के अनुसार निर्बल राजा भी इन उपायों का यथा स्थान प्रयोग करके सबल राजा को परास्त कर सकता है[iii] तथा जिन राजाओं को इन उपायों का प्रयोग करना नहीं आता वे स्वयं अपने शत्रुओं से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार दीमक द्वारा बनाया गया मिट्टी का घर।[iv]

इसीलिए भीष्मपर्व[v] में कहा गया है कि जिस प्रकार कुत्ते मांस के लिए लड़ते है, वैसे ही राजा वसुधा के भोग की इच्छा के लिए आपस में लड़ते हैं तथा इस असंतुष्टि के लिए साम, दान, दण्ड, भेद के द्वारा सम्पूर्ण पृथ्वी को भोगने का प्रयास करते हैं। इन उपायों का समुचित प्रयोग समृद्धि को बढ़ाता है तथा ऐश्वर्य प्रदान करता है।[vi] इनका स्वरूप-निरूपण निम्न है-

(1) साम: साम का अभिप्राय है- शांतिपूर्वक स्तुति या प्रशंसा। इस उपाय में समझौते द्वारा शान्तिपूर्वक कार्य किया जाता है। यह प्रथम उपाय है। कौटिल्य के अनुसार इसमें एक गुण होता है[vii]- ***केवल और केवल शांति।*** इसमें मधुर वचनों का प्रयोग करते हुए शत्रु को अपने वशीभूत करने का प्रयास किया जाता है। साम दो प्रकार का है-

- **तथ्य साम** : सज्जन पुरुषों के साथ तथ्य साम यानि सच्ची प्रशंसा करते हुए उन्हें वश में किया जाता है। यह उपाय उन पुरुषों के साथ होता है जो सरल प्रकृति, धर्म परायण, उत्तम कुलोत्पन्न होते हैं, वे तथ्य से ही साध्य होते हैं।[viii]
- **अतथ्य साम** : दुर्जन पुरुषों के विरुद्ध इस नीति को अपनाया जाता है।[ix] यहाँ अतथ्य यानि झूठी प्रशंसा की जाती है। इस प्रकार साम वचनों का प्रयोग करते हुए शत्रु को वश में किया जाता है।

अग्निपुराण के अनुसार शत्रु को पाँच तरीकों से शान्त किया जा सकता है -

"चतुर्विधं स्मृतं साम उपकारानुकीर्तनात्।
मिथः सम्बन्धकथनं मृदुपूर्वं च भाषणं।
आयाते दर्शनं वाचा तवाहमिति चार्पणं।।"[x]

अर्थात् (1) दूसरों पर किए गए उपकार का वर्णन करके, (2) आपस के संबंध प्रकट करके (3) मधुर वाणी बोलकर, (4) भावी उन्नति का प्रकाशन करके, (5) मैं आपका हूँ इस प्रकार, आत्मीयता दिखाकर शत्रु को वश में करना चाहिए। कामन्दक ने भी इन्हीं पाँचों वाक्यों को साम के लिए आवश्यक माना है।[xi]

(2) दान: दान से अभिप्राय है - आर्थिक सहायता (धन) देकर शत्रु को वश में करना। दान को सभी उपायों में श्रेष्ठ माना जाता है।

सर्वेषामप्युपायानां दानं श्रेष्ठतमं मतम् ।[xii]

AD EDUXIAN JOURNAL
A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed Online International Journal
Google Scholar Indexing PIF:1.048(I2OR) & 3.125 (IIFS)
Vol (2), Issue (3), Oct-Dec 2025 ISSN: 3048-7951

कौटिल्य के अनुसार दान में दो गुण विद्यमान रहते हैं - **दान और साम।** [xiii]

लोभी व निर्धन राजा को तपस्वी व प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मध्यस्थता में दान देकर वश में करना चाहिए।[xiv] कौटिल्य ने दान के पाँच भेद बताए हैं -

- स्वयं को प्राप्त होने वाले धन का परित्याग कर देना।
- जो सम्पति प्रतिपक्षी के पास है, उसका अनुमोदन करना।
- प्रतिपक्षी से प्राप्त सम्पति को लौटा देना।
- प्रतिपक्षी को स्वयं अपना धन प्रदान करना।
- शत्रु राज्य में प्राप्त धन प्राप्तकर्ता को दे देना और अपना अंश भी न ग्रहण करना।[xv]

कामन्दक ने भी कौटिल्य की दान प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए इसे बाँटा है[xvi]

- प्राप्त हुई भूमि या धन-धान्य को वापस लौटा देना।
- अपनी भूमि जो शत्रु के अधिकार में आ गई है, उनको प्रसन्नता पूर्वक उन्हें दे देना।
- पहले न दिए गए भूमि और धन-धान्य को प्रदान करना।
- शत्रु से लूट में प्राप्त सम्पत्ति का कुछ अंश छोड़कर शेष
- शत्रु राज्य में प्राप्त धन प्राप्तकर्ता को दे देना और अपना अंश भी न ग्रहण करना।

अतः विपक्षी को धन आदि देकर अपने वश में करना चाहिए। यह नीति आश्वासनपूर्वक वचन, भूमि, सम्पत्ति आदि का आश्रय लेकर अपनाई जाती है।

(3) भेद: भेद का अभिप्राय है - फूट पैदा करके या शत्रु की शक्ति में सेंध लगाना। जब 'साम' (समझाना) और 'दाम' (रिश्वत/लालच) विफल हो जाते हैं, तब शत्रु को कमजोर करने के लिए 'भेद' का सहारा लिया जाता है महाभारत के अनुसार सरल और कुटिल उपायों द्वारा शत्रुपक्ष में फूट उत्पन्न करके अपने राज्य की रक्षा करना ही भेद नीति है। शत्रु की संगठित शक्ति तोड़ने का एकमात्र उपाय भेद ही हो सकता है। कौटिल्य के अनुसार भेद में 3 गुण होते हैं- साम, दान, भेद-

"भेदस्त्रिगुण सान्त्वदानपूर्वः।"

इस नीति के लिए विशेष रूप से गुप्तचरों का प्रयोग किया जाता है। कौटिल्य के अनुसार सबल राजा को दण्ड और भेद नीति से ही वश में किया जा सकता है-

"भेद दण्डाभ्यां बलवतः"

जिन राजाओं का आपसी प्रेम या मैत्री हो, उनमें परस्पर द्वेष पैदा करके एक दूसरे से भिन्न कर देना चाहिए।

"वैर भूमि हरणंशकितमतोऽन्यतमेन भेदयेत्"

अतः जब शत्रु की स्थिति स्थिर न रह रही तो तब उसी के विश्वासपात्र व्यक्तियों द्वारा शत्रु की सेना में भेद (मतभेद) उत्पन्न करके राजा के राज्य की आदि, मध्य और अंतिम सीमा को ज्ञात कर उसकी सेना का संगठन तोड़ना चाहिए। महाभारत के अनुसार - **"शत्रु राजाओं के (शत्रु पक्ष) के योद्धाओं को अपने पक्ष में मिलाकर, अन्तिम क्षण तक शत्रु से युद्ध किया जाना चाहिए।"** कौटिल्य मानते है कि बिना युद्ध (दण्ड) के शत्रु को हराने के लिए **'भेद'** एक प्रभावी उपकरण है क्योंकि एक विभाजित राज्य आसानी से जीता जा सकता है, इसमें निम्न उपाय शामिल हैं-

- शत्रु राजा के मंत्रियों, सेनापतियों या परिवार के सदस्यों के मन में राजा के प्रति असन्तोष या शंका पैदा करना।
- गुप्तचरों (Spies) के माध्यम से झूठी खबरें फैलाकर आपसी कलह करवाना।
- शत्रु के सहयोगियों को अपनी ओर मिला लेना या उन्हें तटस्थ कर देना।

कुरूक्षेत्र मैदान में युधिष्ठिर भेद नीति का सहारा लेते हुए शत्रुपक्ष की सेना को कहते हैं कि – **"जो कोई भी सहायता के लिए हमारे पक्ष में आना स्वीकार करे, उसे स्वीकार करूँगा। यह सुनकर युयुत्सु कौरवों की सेना से पाण्डवों की सेना में सम्मिलित हो गया"** इस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति द्वारा बड़ी चतुराई से भेदनीति का पालन करना चाहिए।

इसीलिए भीष्म पितामह कहते हैं कि – न्याय शास्त्री, शास्त्रीय विधि ज्ञाता, सुशिक्षित तथा भाष्यकथा विशारद विद्वानों को वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके शत्रुओं पर भेद नीति का प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार राम ने विभीषण को शरण देकर रावण पक्ष में फूट डाली थी। अतः जब शत्रु की स्थिति स्थिर न रह रही हो तब उसी के विश्वासपात्र व्यक्तियों द्वारा शत्रु की सेना में भेद (मतभेद) उत्पन्न करके राजा के राज्य की आदि, मध्य और अंतिम सीमा को ज्ञात कर उसकी सेना का संगठन तोड़ना चाहिए। महाभारत के अनुसार **"शत्रु राजाओं के (शत्रु पक्ष) के योद्धाओं को अपने पक्ष में मिलाकर, अन्तिम क्षण तक शत्रु से युद्ध किया जाना चाहिए।"**

अतएव सुसंगठित, नीतिकुशल शत्रु के प्रति भेद नीति का प्रयोग करना चाहिए। अग्निपुराण के अनुसार भेद नीति का प्रयोग उन्हीं शत्रु राजाओं के प्रति करना चाहिए, जो दुष्ट प्रकृति, क्रुद्ध स्वभाव, भयभीत हों"।

"परस्परं तु ये दुष्टाः क्रुद्धा भीतावमानिताः।
तेषां भेदं प्रयुञ्जीत भेदसाध्या हिते मताः।।"

अतः राजा को भेद डालने वाले व्यक्ति को सब प्रकार से सहायता देकर प्रसन्न रखते हुए शत्रु की संगठन शक्ति को तोड़ना चाहिए। भेद के अनेक प्रकार हो सकते हैं, यथा-

- शत्रु और उसकी प्रकृति तथा उसके मित्र राजाओं के बीच के अनुराग को खत्म करके।
- उनमें परस्पर संघर्ष पैदा करके।
- उन्हें धमकी देकर वश में करना।

AD EDUXIAN JOURNAL
A Quarterly Multidisciplinary Blind Peer Reviewed & Refereed Online International Journal
Google Scholar Indexing PIF:1.048(I2OR) & 3.125 (IIFS)
Vol (2), Issue (3), Oct-Dec 2025 ISSN: 3048-7951

न शक्या ये वशे कर्तुमुपायत्रितयेन तु।
दण्डेन तान वशीकुर्याद् दण्डो हि वशकृन्नृणाम्।।[xvii]

(4) दण्डः कूटनीतिक उपायों में दण्ड को अन्तिम स्थान दिया गया है। पूर्वोक्त नीतियों के विफल होने की स्थिति में दण्डनीति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दण्डनीति में पूर्वोक्त तीनों साम, दान, भेद विराजमान रहती है।

"दण्डचतुर्गुर्णाः सांत्वदानभेदपूर्वः"[xviii]

कौटिल्य के अनुसार सबल शत्रु को दण्ड से वश में करना चाहिए -

"भेद दण्डाभ्यां बलवतः।" [xix]

प्राचीन सभी आचार्यों ने स्वीकारा है कि दण्डहीन राजा अपनी प्रजा को कभी सुखी नहीं रख सकता,[xx] - क्योंकि दुर्जनों का दमन आवश्यक है तथा यह कार्य दण्ड द्वारा ही हो सकता है। हालांकि राजा को सर्वप्रथम पहले तीनों उपायों का ही प्रयोग करना चाहिए, उसके पश्चात् अन्तिम उपाय दण्ड का प्रयोग लोकानुग्रह की कामना से धर्मशास्त्रानुसार ही करना चाहिए।

"यस्माद् दण्डो दमयति दुर्मदान् दण्डयत्यापि।
दमनाद् दण्डनाच्चैव तस्माद् दण्डं विदुर्बुधाः।।"[xxi]

दण्ड दो प्रकार का होता है –

(1) प्रकाशित दण्ड: इस दण्ड के अन्तर्गत युद्ध, लूटपाट करना, सब कुछ तहस-नहस कर शत्रु की फसलों आदि को नष्ट कर देना, आग लगाना आदि सम्मिलित है।

(2) गुप्त दण्ड : जहर देना, गुप्तचरों द्वारा शत्रु की हत्या करवाना, जलाशयों आदि में जहर डलवा देना, शत्रु के अस्त्रों-शस्त्रों को नष्ट करवाना, सत्पुरुषों को अपमानित कर राज्य से निकलवा देना, ये सब उपाय गुप्त दण्ड में किए जाते हैं। इस प्रकार दण्ड नीति के लिए समुचित अवसरों का वर्णन भारतीय राजशास्त्र में मिलता है। महाभारत के अनुसार दण्ड विवशता की स्थिति में प्रयोग करने की व्यवस्था है अर्थात् जब दुर्जन लोग अन्य नीतियों से वश में नहीं आते, तो उनके लिए दण्ड नीति का प्रयोग किया जाता है। अतः दण्ड नीति मुख्यतः शत्रु का वध करने, उसका अपहरण करने, उसे बन्धक बनाकर प्रताड़ित करके उसे कष्ट पहुँचाना है।

इस प्रकार राजनीति में सामान्यतः चारों नीतियों का प्रयोग किया जाता था और वर्तमान में भी इनकी उतनी ही प्रासांगिकता है। हालांकि समाज, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार तरीके बदल सकते हैं, परन्तु आज भी इन चारों नीतियों को अभीष्ट फल प्राप्ति के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अतः एक योग्य राजा के लिए विजय और पराजय के निर्धारण में ये उपाए उपयोगी सिद्ध होते हैं।

---

[i] महा० सभा० प० 5.21, 62, का० नी० 17.3, मत्स्य पु०, 222.8-10, अग्नि पु०, 226.7

[ii] रा०अयो० का०, 100.68

[iii] महा० सभा० प०, 15.12

[iv] महा० सभा० प०, 15.11

[v] महा० भीष्म प०, 10.73

[vi] किरा०, 1.15

[vii] अर्थ०, 9.6

[viii] मत्स्य पु०, 228.8-10, अग्नि पु०, 226.7

[ix] मत्स्य पु०, 148.67-70

[x] अग्नि पु०, 241.47

[xi] का० नी०, 17.4-5

[xii] मत्स्य पु०, 224.1, अग्नि पु०, 226.12

[xiii] अर्थ०, 9.6.69

[xiv] अर्थ०, 9.6

[xv] अर्थ०, 9.6.144, 26-27, अग्नि पु०, 241.48-49

[xvi] का० नी०, 17.6-7

[xvii] मत्स्य पु०, 148.76, 225.1; अग्नि पु०, 226.13

[xviii] अर्थ०, 9.6.71

[xix] अर्थ०, 7.16.4

[xx] महा०, 12.14.12

[xxi] मत्स्य पु०, 225.17; अग्नि पु०, 226.16